✉ mmshcshp@gmail.com

☎ 1800 301 00334 (टोल फ्री)

MMSHCS-HP

Govt. of Himachal Pradesh

मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना

योजना के लाभ

- प्रति वर्ष बेसिक पैकज के अन्तर्गत रू0 30,000/— तक का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ।
- क्रिटिकल केयर पैकेज के अन्तर्गत रू0 1,75,000/— तक का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ।
- शर्तः उपरोक्त स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ केवल हस्पताल में दाखिल होने की स्थिति में ही मिलेगा।

योजना के अन्तर्गत कौन–कौन पात्र हैं?

- 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
- एकल नारि (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त, अविवाहित अथवा गुमशुदा पति)।
- 70 प्रतिशत् से अधिक अक्षम व्यक्ति।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाएं।
- मिड–डे मील कार्यकर्ता।
- दैनिकभोगी।
- अंशकालिक कर्मचारी।
- अनुबन्ध कर्मचारी।

(मिड–डे मील कार्यकर्ता, दैनिकभोगी, अंशकालिक कर्मचारी, अनुबन्ध कर्मचारी:) हि.प्र. सरकार के, बोर्ड, निगम एवं स्वायत निकायों में कार्यरत सभी कर्मचारी।

लाभार्थी सहित परिवार के पांच सदस्य पात्र होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवार का सदस्य 80 वर्ष से अधिक होना चाहिए।

योजना के अन्तर्गत केवल वह लाभार्थी ही पात्र है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या अन्य किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत लाभार्थी नही है।

पंजीकरण कहां करवाया जा सकता है?

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा खण्ड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में।

टोल फ्री नम्बरः 1800 301 00334

पंजीकरण किस प्रकार करवाएं?

1. पंजीकरण फार्म भरें एवं इसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाएं। (फार्म पंजीकरण कार्यालय अथवा वैबसाइट www.nrhmhp.gov.in पर उपलब्ध है।)
2. निम्न में से एक पहचान पत्र की प्रति अपने साथ लाएः
   आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड अथवा राशन कार्ड
3. पंजीकरण के लिए आप पर आश्रित परिवार सदस्यों को भी साथ लाएं।
4. पंजीकरण फार्म एवं दस्तावेज पंजीकरण कार्यालय में जमा करवाएं।
5. रूपये 30 का पंजीकरण शुल्क अदा करें।
6. अपनी बायोमैट्रिक सूचना दर्ज करवाएं।
7. अपना स्मार्ट कार्ड, रसीद एवं हस्पतालों की सूची लें।

आवश्यक दस्तावेज (अनिवार्य)

- **पंजीकरण फार्मः** वैबसाइट www.nrhmhp.gov.in पर उपलब्ध है।
- **पहचान पत्र की प्रतिः** आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड अथवा राशन कार्ड।
- **सत्यातिप प्रमाण पत्रः** वरिष्ठ नागरिकों के अतिरिक्त पंजीकरण फार्म को किसी अनाधिकृत अधिकारी से सत्यापित करवाना अनिवार्य है।

विशेष अनुदेश

- ➢ योजना के अन्तर्गत पात्र कर्मचारी उसी जिला/खण्ड में पंजीकृत होंगे जहां पर वे सेवारत हैं।
- ➢ स्मार्ट कार्ड पांच वर्ष हेतु मान्य होगा परन्तु तीसरे वर्ष नवीनीकरण करवाना होगा।
- ➢ हस्पताल जाते समय अपना स्मार्ट कार्ड अवश्य साथ ले जाएं।

Address: HP Swasthya Bima Yojana Society, Dept. of Health & FW, Thakur Villa, Kasumpti, Shimla- 171009